



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0-10/2020-764

दिनांक : 23/11/20

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/ लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/ गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/ सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/ रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य हेतु **रु0 4.000 (चार लाख रूपये)** मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2019-17/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.11.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-21/2019-30/आ0 व0प0 दिनांक 10.11.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल **रु0 4.000 (चार लाख रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	प्रशिक्षण मद	4.000
कुल योग :-		4.000

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस राशि से राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विभागीय प्रक्रिया एवं प्रजातियों के अनुसार अपनी निजी भूमि पर करवाए गए (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रैखिक वनरोपण) वृक्षारोपण पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा।

3. प्रमंडलवार उप-आवंटित की जा रही राशि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी **अनुलग्नक-1** पर पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को

(Handwritten signature)

प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान बैंक खाते/DBT के माध्यम से ही किया जायेगा।

4. मुख्यमंत्री जन वन योजना के MIS application में व्यापक सुधार कराया गया है, जिसमें प्रत्येक लाभुक से संबंधित वांछित सूचनाओं को upload किये जाने एवं प्रभारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उसे approve करने के उपरांत auto generated भुगतान पर्ची बनता है, उन्हीं भुगतान पर्ची के आधार पर भुगतान कोषागार के माध्यम से सीधे लाभुकों के खातों में किये जाए एवं मुख्यमंत्री जन वन योजना के Website पर upload किया जाए।

5. प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या-04/यो0बजट-79/2015/2005 दिनांक-14.05.2018 की कंडिका-6.6, 7.1, 7.2 एवं 7.4 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

12. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

13. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास निर्गत करेंगे। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट करायेंगे।

14. कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय तथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि। ऐसी योजना ग्रामीण विकास विभाग MGNREGA जोहार/JSLPS के तहत तथा कृषि, पशुपालन, मतस्य, सहकारिता विभाग

NHM (हॉर्टीकल्चर के तहत), अनु0जन0अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी कार्यान्वित करता है। दोहरीकरण से बचने हेतु सभी Data Base Exchange किया जाय। स्थल निरीक्षण वन विभागीय पदाधिकारी/कर्मी करें तथा कोडिनेट के साथ योजना प्रारम्भ के पूर्ण तथा विभिन्न चरणों का ब्यौरा record में संधारित हो।

15. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा। यह कंडिका-14 के क्रम में काफी महत्वपूर्ण है।

16. विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंउम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

17. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

18. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैट्रन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

19. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

20. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) कंडिका-18 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

23. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

24. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016

द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

25. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगे।

26. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-46-सह पठित ज्ञापांक-2393, दिनांक-14.08.2020 द्वारा निर्गत निर्देश प्रभावी होगा।

27. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

28. प्रशिक्षण मद में उप-आवंटित राशि से कृषकों को फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के निजी भूमि पर वृक्षारोपण से होने वाले लाभ से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाय, ताकि आम जनों में इसका प्रचार एवं प्रसार हो सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-10/2020-764 दिनांक-23/12/20

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संचाल परगना, दुमका/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ दुमका/जमशेदपुर/बोकारो/पलामू/हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला / दुमका/ जमशेदपुर/बोकारो/गिरिडीह/मेदिनीनगर/चतरा एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-10/2020-764 दिनांक-23/12/20


प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ सिमडेगा/ चाईबासा/जमशेदपुर/ खूँटी/ लोहरदगा/ गोड्डा/ सरायकेला/ रामगढ़/ गिरिडीह/ मेदिनीनगर/ चतरा/ पाकुड़/ साहेबगंज/ बोकारो/ धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली "मुख्यमंत्री
जन वन योजना" (अन्य व्यय) अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य हेतु
प्रमंडलवार उप-आवंटित वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)			
क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	प्रशिक्षण मद
i	ii	iii	iv
1	देवधर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवधर	0.250 ✓
2	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	0.250 ✓
3	गुमला		
4	पश्चिमी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	0.250 ✓
5	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	0.250 ✓
6	खूँटी	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	0.250 ✓
7	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	0.250 ✓
8	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	0.250 ✓
9	सरायकेला-खरसौवा	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	0.250 ✓
10	रामगढ	रामगढ वन प्रमण्डल, रामगढ	0.250 ✓
11	गिरीडीह	गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	0.250 ✓
		गिरीडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	0.250 ✓
12	मेदिनीनगर	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	0.250 ✓
13	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	0.200 ✓
14	पाकुड	पाकुड वन प्रमण्डल, पाकुड	0.200 ✓
15	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	0.200 ✓
16	बोकारो	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	0.200 ✓
17	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	0.200 ✓
योग :-			4.000


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-10/2020/764

दिनांक - 23-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65793	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
2	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65795	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग:

50,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पचास हजार


(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65804	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
4	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65806	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
5	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65807	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग:

75,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक लाख पच्चीस हजार

125,000.00

(Handwritten Signature)
8C
(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65808	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
7	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65809	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
8	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65810	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग:

75,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो लाख

200,000.00

(Handwritten Signature)
(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65811	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
10	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65812	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
11	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65813	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग:

75,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो लाख पचहत्तर हजार

275,000.00


(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65814	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
13	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65815	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	20,000.00 रुपये बीस हजार
14	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65816	PKRFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	20,000.00 रुपये बीस हजार

योग: 65,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख चालीस हजार 340,000.00


(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65817	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	20,000.00 रुपये बीस हजार
16	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65818	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	20,000.00 रुपये बीस हजार
17	S 19 240601102550335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	65819	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	20,000.00 रुपये बीस हजार
योग:				60,000.00
क्रमिक योग: रुपये चार लाख				400,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND